to the 40 per cent compulsary deposit in Reserve Bank of India for the year 1992-93;

(b) whether the amount so acquired would be sufficient to meet the import needs by Government; and

(c) if not, what steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) Under the new system of partial convertibility of rupee the Authorised Dealers are required to surrender 40 per cent of the foreign exchange to the Reserve Bank of India out of the foreign exchange receipts from the exporters of goods and services and recepients of current transfers. On an overall assessment of balance of payments position for 1992-93 it is expected that about US $ 10 billion would be available to the Reserve Bank of India through the 40 per cent component of receipts mentioned above. The needs of foreign exchange for essential imports and Government Departments will be kept within the limit of estimated availability of foreign exchange.

(c) Does not arise.

भारतीय रिजर्व बैंक, दिल्ली में टंककों के पदों का लिपिकों के पदों में परिवर्तित किया जाना

736. **श्रीमती कमला सिन्हा**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक की दिल्ली शाखा ने लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व बम्बई स्थित अपने केन्द्रीय कार्यालय से टंककों के 50 पदों को लिपिकों के पदों में परिवर्तित करने तथा टंककों के 30 पदों के लिए नियुक्तियां किए जाने के लिए स्वीकृति मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय कार्यालय को कितने अनुस्मारक पत्र प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हाल ही में रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ तथा प्रबंधकों के बीच एक समझौता हुआ है कि जो कर्मचारी पदोन्नति के योग्य है उन्हें पदोन्नत किया जाएगा तथा वर्तमान में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियां यथाशीघ्र ही की जायेंगी;

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक की दिल्ली शाखा में टंककों को भर्ती किए जाने की इजाजत देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की दिल्ली शाखा में रिक्त पदों पर टंककों और लिपिकों की भर्ती की अनुमति कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई ने सूचित किया है कि बैंक के नई दिल्ली स्थित कार्यालय ने जनवरी 1991 में, टंककों के 13 पदों को भरने के लिए उनके अनुमोदन के वास्ते अनुरोध किया था जिनमें से सात पद, पात्र टाइपिस्टों के क्लर्क ग्रेड-II/सिक्का नोट निरीक्षक ग्रेड-II के पद पर नियुक्त हो जाने की वजह से खाली थे। इस प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात्, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय ने नई दिल्ली स्थित कार्यालय को अपनी सहमति नहीं दी। अतः रिजर्व बैंक के नई दिल्ली स्थित कार्यालय को, केन्द्रीय कार्यालय को अनुस्मारक भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।

(ग) ऐसा कोई भी समझौता नहीं है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय कार्यालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली के समूचे कार्यभार को देखते हुए, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर भर्ती करने की अनुमति दी जाती है।